राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेशनर्स कल्याण विभाग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– निपेवि/पीएस/2026/2393 दिनांक 30/10/26

समस्त कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी,
राजस्थान।

विषय :– राज्य के सिविल पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर द्वारा माह नवम्बर, 2026 में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में।

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 134 के अनुसार पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को प्रत्येक वर्ष माह नवम्बर में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

उक्त के क्रम में पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर **राजस्थान सरकार में कार्यरत समस्त राजपत्रित/अराजपत्रित कर्मचारियों (च. श्रे. कर्मचारी को छोड़कर) के द्वारा IFMS 3.0 पर कर्मचारी की स्वयं की SSO ID के माध्यम से अथवा संबंधित कोषालय/उप कोषालय अथवा निदेशालय पेंशन/ संभागीय पेंशन कार्यालयों की हेल्पडेस्क पर व्यक्तिशः उपस्थित होकर अथवा ई–मित्र के माध्यम से जीवन प्रमाणन के द्वारा जीवन प्रमाण पत्र** प्रस्तुत कर सकते हैं।

अतः पेंशनर्स से जीवन प्रमाण पत्र निर्धारित समयावधी में प्रस्तुत करवाने हेतु पर्याप्त प्रचार–प्रसार किया जाना सुनिश्चित करते हुए आपके कोष/उप कोष कार्यालय के अन्तर्गत राजस्थान सरकार के समस्त सिविल पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स से **माह नवम्बर, 2026 में प्रस्तुत किए जाने वाला जीवन प्रमाण पत्र दिनांक 30.11.2026 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करावें, क्योंकि जीवन प्रमाण पत्र के अभाव में माह नवम्बर, 2026 की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान पेंशनर्स को नहीं किया जा सकेगा।**

30/10/2026
(महेन्द्र सिंह भूकर)
निदेशक

क्रमांक :– निपेवि/पीएस/2026/2394–2395 दिनांक 30/10/26

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. श्री शंकर सिंह मनोहर, प्रदेशाध्यक्ष, राज. पेंशनर समाज 1–ए, हसनपुरा, एन.बी.सी रोड,जयपुर।
2. श्री कैलाश क्रांतिकारी, प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान पेंशनर मंच, मकान न. 1361, दूसरा चौराहा, बाबा हरिश्चंद्र मार्ग, चांदपोल बाजार, जयपुर।

30/10/2026
निदेशक

D:\letter